न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 110 / 2023

1 रामस्वरूप उम्र 37 साल दत्तक पुत्र झाबरमल जाति रैबार निवासी ग्राम कांटिया कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांट्स

बनाम

1 गुलाब उम्र 62 साल
2 नेमीचन्द उम्र 48 साल
3 रामसिंह पुत्र 54 साल पुत्रगण श्योनाथ समस्त जाति रैबारी निवासीगण कांटिया कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।
4 तहसीलदार तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर राज.।

रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधि. विरूद्ध निर्णय दिनांक 04.10.2023 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ गोविन्द सिंह भींचर (आरएएस) प्रकरण संख्या 103 / 2021 आवेदन अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्त. अधिनियम बउनवानी रामस्वरूप बनाम गुलाब आदि

उपस्थिति :
1. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर ख्यालिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

—निर्णय—

दिनांकः— 7/11/25

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 103/2021 में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 229, 232 वाके ग्राम कांटिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट की कृषि भूमि के आवागमन की निकटतम दूरी ग्राम कांटिया के खसरा नम्बर 884 रकबा 0.8200 है. गै. मुमकिन रास्ता से खसरा नम्बर 226 की चारागाह भूमि में से बताकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी के आवेदन को खारिज कर दिया जबकि खसरा संख्या 226 की भूमि राजस्व रिकार्ड में सरकारी दर्ज होकर किश्म चारागाह है एवं उक्त खसरा संख्या 226 में से रास्ता कटाण होने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है एवं जिस तरफ से विचारण न्यायालय ने चारागाह भूमि में से निकटतम दूरी बताई है उस खसरा संख्या 226 का अवलोकन किया जावे तो वह पहाड़ी क्षेत्र एवं खसरा नम्बर 226 के दक्षिणी तरफ पानी के बहाव का गहरा नाला है जहां से रास्ता होने का प्रश्न ही नहीं है बल्कि नामुमकिन है परन्तु विचारण न्यायालय ने खसरा संख्या 226 को चारागाह बताकर मौका की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं की एवं सरसरी तौर पर ही अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया एवं धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों की गलत व्याख्या की ओर निर्णय के अंतिम पृष्ठ पर यह अंकित कर दिया कि—" धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि हर खातेदार/काश्तकार की भूमि तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ता मौजूद हो। धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मूल उद्देश्य उन काश्तकारों के लिए है जिन काश्तकारों की भूमि पर पहुंच हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं हो व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

आवश्यकता अत्यानिक हो और सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं हो।" इसके आगे इसी पृष्ठ पर क्रम संख्या 5 पर यह अंकित कर दिया कि –"प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 229 तक पहुंच हेतु वैकल्पिक मार्ग है, भले ही वह मार्ग रिकार्डेड नहीं है। जो कि उपरोक्त विवेचन में प्रकट किया गया है तथा प्रार्थी द्वारा चाहा गया रास्ता सिर्फ सुविधाजनक उपभोग के लिए है ताकि प्रार्थी मुख्य मार्ग से अपने खेत तक सीधा रास्ता अप्रार्थी की खातेदारी में धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की आड़ में ले सकें।" विचारण न्यायालय द्वारा अंकित उक्त तथ्य सर्वथा काल्पनिक व बनावटी है एवं अपीलान्ट द्वारा स्टाम्प पर लिखापढी करके प्राप्त किया गया रास्ता के संबंध में विचारण न्यायालय ने निष्कर्ष ही नहीं दिया ना ही विचारण न्यायालय ने भू–अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 05.08.2022 को तैयार की गई मौका रिपोर्ट के तथ्यों का अवलोकन किया। जिसमें अपीलान्ट को रास्ता दिया जाने की अत्यन्त ही आवश्यकता बताया थात था यह भी अंकित किया कि–" प्रार्थी के वर्तमान में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है एवं आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही है।" फिर भी विचारण न्यायालय ने बिना किसी आधार के वैकल्पिक मार्ग बताकर अपीलान्ट के आवेदन को खारिज कर दिया जिस कारण उक्त निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किया जाना एवं विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के आवेदन को स्वीकार किया जाना प्रार्थनीय है। विचारण न्यायालय के समक्ष अन्य विकल्प खसरा संख्या 232 की पश्चिमी सींव के सहारे–सहारे खसरा संख्या 233 की दक्षिणी सीमा तक दिया जाने एवं उत्तर की ओर खसरा संख्या 232 की उत्तरी पश्चिमी कूंट की तरफ से भी दिया जाने का है यह वैकल्पिक प्लीड अपीलान्ट की हैं इसलिए विचाराधीन निर्णय को अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 229, 232 वाके ग्राम कांटिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

तहसीलदार, दांतारामगढ़ से दो रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 व दिनांक 17.08.2022 को अन्तर्गत नियम 69 राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 अनुसार प्रस्तुत हुई। तहसीलदार दांतारामगढ़ की रिपोर्ट दिनांक 23.03.2022 के साथ संलग्न नक्शे ट्रेश से यह विदित है कि प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 229 पर पहुंच हेतु निकटतम रिकार्डेड रास्ता खसरा नम्बर 225 है, व उक्त रिकार्डेड रास्ते खसरा नम्बर 225 के सहारे खसरा नम्बर 226 अवस्थित है जो कि चारागाह भूमि है, जिससे प्रार्थी की खातेदारी भूमि के खसरा नम्बर 229 में जाया जा सकता है। धारा 251 ए आरटीए का मूल उद्देश्य यह नहीं है कि हर खातेदार/काश्तकार की भूमि तक पहुंच हेतु रिकार्डेड रास्ता मौजूद हो। धारा 251 ए आरटीए का मूल उद्देश्य उन काश्तकारों के लिए है जिन काश्तकारों की भूमि पर पहूंच हेतु कोई भी वैकल्पिक मार्ग नहीं है व आवश्यकता अत्यांतिक हो और सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हो। प्रस्तुत प्रकरण में मौका रिपोर्ट से वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन खारिज करने में विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 229, 232 वाके ग्राम कांटिया का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न मौका रिपोर्ट से आवेदनकर्ता के पास रास्ते का अभाव होना, रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता होना एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव होना स्पष्ट रूप से अंकित है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा चारागाह में से आवागमन वैकल्पिक रास्ता मानते हुए आवेदक का आवेदन खारिज किया है। विचारण न्यायालय का यह निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। चारागाह भूमि में कटान का रास्ता होने का साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष की उपस्थिति में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों की पालना में पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.11.2025 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 7/11/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर